जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 55 प्रभात चूरू, शनिवार 22 जून, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भारी हड़कम्प मचा राजनीतिक हल्कों में प्रो-टैम स्पीकर के लिये मोदी की ''चॉइस'' से

मोदी पर आरोप है कि, उन्होंने प्रो-टैम स्पीकर की नियुक्ति में, लोकसभा की पुरानी स्थापित परम्परा का निर्वाह नहीं किया, तथा वरिष्ठतम सांसद, कांग्रेस पार्टी के के. सुरेश का नाम स्वीकार नहीं किया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। नरेन्द्र मोदी सरकार ने संकेत दे दिया है कि नई संसद की शुरुआत टकराव से ही होगी। प्रधानमंत्री ना तो सर्वसम्मति चाहते हैं ना ही सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, बल्कि वे तमाम कायदो व स्थापित परम्पराओं का उल्लंघन करना जारी रखना चाहते हैं उनके तौर तरीके वही रहेंगे जिन पर अब तक वे चलते रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 8 बार निर्वाचित दलित सांसद के. सुरेश की बजाय भाजपा के भर्तृहरी महताब को प्रोटैम स्पीकर बनाकर मोदी सरकार ने आगामी संसद सत्र में टकराव और शत्रुता का स्पष्ट संकेत दे दिया है।

लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद को प्रोटैम स्पीकर बनाया जाता है जिसका काम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाना और नए स्पीकर का चुनाव करवाना होता है उसके बाद वह पद से हट जाता है। बस उसका इतना ही काम होता है।

- केरल के दलित सांसद सुरेश आठ बार सांसद निर्वाचित होने के कारण सबसे वरिष्ठ सांसद हैं।
- ऐसा कहा जा रहा है कि, भाजपा की आंतरिक बैठक में जब सुरेश का नाम आया, प्रो-टैम स्पीकर के लिये, तो मोदी ने संसदीय मामलों के मंत्री रिजीजू को निर्देश दिया कि, कोई और नाम ढूंढ कर लाओ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी सांसद द्वारा दिलाई गई शपथ उन्हें स्वीकार नहीं। और फिर भाजपा सांसद भर्तृहरि का नाम चुना गया प्रो-टैम स्पीकर के लिये।
- विपक्ष द्वारा प्र.मंत्री मोदी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि, महताब को प्रो टैम स्पीकर बनाना, इस बात का संकेत है कि, मोदी संसद को मतैक्यता से, समझौते करके चलाने के पक्ष में नहीं हैं। वे अपने ही तरीके स एक तरफा निर्णय लेंगे संसद चलाने में, जैसे पिछले दस साल से करते आये हैं।
- पर, अब की बार विपक्ष की संख्या भी काफी है संसद में, अतः क्या संसद चलाने में काफी खींचतान व कन्फ्रन्टेशन होने की आशंका है।
- जैसा कि विदित ही है, प्रो-टैम स्पीकर, सभी नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाता है, तथा स्पीकर का चुनाव कराकर, प्रो-टैम स्पीकर के पद से मुक्त हो जाता है।

फिर परम्परा की अवहेलना करते हुए महताब को प्रोटैम स्पीकर क्यों बनाया गया?

भाजपा के उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है कि भाजपा की आन्तरिक मीटिंग में जब प्रोटैम स्पीकर के रुप में के. सुरेश का नाम सामने आया तो प्रधानमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू को भाजपा में से दूसरा नाम ढूंढने को कहा। समझा जाता है कि उन्होंने कहा था कि वे किसी कांग्रेसी के हाथ से शपथ नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फॉरैंसिक लैब सहायक निदेशक पद भर्ती केस में हाई कोर्ट का नोटिस

जयपुर, 21 जून (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक पद की भर्ती से जुड़े मामले में आर.पी.एस.सी. सचिव और गृह सचिव से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश धन सिंह की याचिका पर दिए। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि, आयु सीमा में छूट को लेकर

- हाई कोर्ट ने इस भर्ती में आयु सीमा संबंधी अधिसूचना का पालन नहीं किए जाने को लेकर आर.पी. एस.सी. सचिव व गृह सचिव से जवाब मांगा है।

जारी अधिसूचना की पालना क्यों नहीं की जा रही है।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आर.पी.एस.सी. ने 27 नवंबर, 2021 को सहायक निदेशक पॉलीग्राफी और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुका है। याचिका में कहा गया कि, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 23 सितंबर, 2022 को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडू की भांति कर्नाटक भी ''नीट'' परीक्षा का सिस्टम खत्म करना चाहता है

तमिलनाडू सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया है, जिससे तमिलनाडू के मैडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिये, ''नीट'' एडमिशन व्यवस्था मान नहीं होगी

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। नीट की प्रवेश परीक्षा में घोटाला, इस परीक्षा के माध्यम से लाखों की संख्या में विद्यार्थी डॉक्टरी के पेशे में प्रवेश करते हैं, अब इस परीक्षा के खिलाफ देश के अन्य क्षेत्रों की तरह कर्नाटक में भी विरोध शुरु हो गया है और यह विरोध प्रदर्शन राज्य के विभिन्न भागों में शुरु हो गए हैं। हालांकि, कांग्रेस शासित यह राज्य नीट को रद्द करने जैसे कठोर उपायों पर विचार कर रही हैं।

तमिलनाडू नीट परीक्षा का पहले से विरोध करता रहा है उसने उसके प्रदेश के मैडिकल कॉलेजों के लिए प्रदेश में नीट परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पहले ही एक संकल्प पारित कर चुकी है। इस संकल्प से प्रेरित होकर कर्नाटक से भी ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आई है, वह भी नैशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रैन्स टैस्ट को समाप्त करने के लिए प्रदेश की विधानसभा में इसी प्रकार का संकल्प पारित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

इस समय नीट को खत्म करने के मुद्दे पर पार्टी की यूनिट व सरकारी महकमों में इसलिए गहन विचार चल रहा है क्योंकि इसकी वजह से सरकार उसके प्रदेश के विद्यार्थियों की उम्मीदों को पूरा करने में असमर्थ हैं जब वे मैडिकल सीट के लिए आते हैं।

- तमिलनाडू सरकार ने रिटायर्ड न्यायाधीश ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया था, जिसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि, नीट व्यवस्था तमिलनाडू के निर्धन तमिल भाषी परिवारों के बच्चों को मैडिकल शिक्षा से वंचित रखती है।
- नीट व्यवस्था सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम को ''फेवर'' करती है तथा बच्चों को कोचिंग जॉइन करने को बाध्य करती है। गरीब परिवार, कोचिंग का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते, अतः पिछड़ जाते हैं।
- तमिलनाडू की विधानसभा में पारित विधेयक को तमिलनाडू के गवर्नर ने स्वीकृति नहीं दी, पर, दोबारा विधानसभा ने ज्यों का त्यों पारित करके राज्यपाल के पास भेजा है।
- कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी, ऐसा ही विधेयक विधानसभा में पारित कराना चाहती है। कर्नाटक की सरकार ''नीट'' परीक्षा में पेपर लीक के मामले का उपयोग करना चाहती है, कर्नाटक विधानसभा में नीट विरोधी विधेयक पारित कराने के लिए।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवं के.पी.सी.सी. अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार कह चुके हैं कि सरकार नीट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल रिहा होने ही वाले थे, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी

ई.डी. की याचिका पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई, याचिका पर सुनवाई होने तक रोक दी है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। अरविन्द केजरीवाल को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने की उम्मीद थी, लेकिन एन्फोर्समैन्ट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) द्वारा त्वरित रुप से दायर एक याचिका के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तय मानी जा रही रिहाई से ठीक पहले कोर्ट ने कहा कि जब तक वह ई.डी. की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती केजरीवाल तब तक जेल में रहेंगे क्योंकि इस प्रक्रिया में दो से तीन दिन का समय लग सकता है।

एक निचली अदालत ने गुरुवार को दिए अपने निर्णय में दिल्ली की रद्द कर दी गई आबकारी नीति से सम्बंधित मनी लांड्रिंग के एक केस में केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली थी।

एडीशनल सॉलीसिटर जनरल एस.वी. राजू ने ई.डी. का प्रतिनिधित्व करते हुए निचली अदालत द्वारा केजरीवाल की जमानत मंजूर किए जाने के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए गंभीर प्रक्रियागत त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया। राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविन्दर दुडेजा की बैंच को बताया कि ''हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें नकार दिया गया। यदि प्रासंगिक तथ्यों की अनदेखी की जाती है अथवा अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाता है तो दी गई जमानत को वापस लिया जा सकता है।''

- राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे।
- ई.डी. ने आनन-फानन में इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- हाई कोर्ट में ई.डी. की याचिका पर सुनवाई के लिए 2-3 दिन लग सकते हैं, तब तक तो केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।

वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉण्डरिंग के आरोपों को लेकर ई.डी. ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के लैफ्टिनैंट गवर्नर की आपत्तियों के बाद उक्त नीति रद्द कर दी गई थी। ई.डी. का आरोप है कि शराब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हज यात्रियों के लिए हैल्थ केयर पोर्टल

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। शुक्रवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने जेद्दा से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इण्डिया, मोहम्मद शाहिद आलम के साथ सहयोग में एक दस्तावेज जारी किया, जिसका शीर्षक है- ''मैडिकल

- भारत सरकार ने हज यात्रा पर गए 1.75 लाख हज यात्रियों की हैल्थ केयर के लिए विशेष प्रयास किए हैं। मक्का-मदीना में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों के मरने की खबरों को देखते हुए भारत सरकार ने ये कदम उठाए हैं।

केयर अरेन्जमैंट्स फॉर हज पिलग्रिम्स'' (हज यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवा व्यवस्थाएं)।

यह दूसरा वर्ष है जब केन्द्रीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैनडा की संसद में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को एक मिनट का मौन रखकर श्रृद्धांजलि दी गई

भारत ने कैनडा के रूख पर गंभीर आपत्ति जताई

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। कैनडा की संसद के, खालिस्तानी आतंकवादी, हरदीप सिंह निज्जर की स्मृति में एक मिनट का मौन रखने के निर्णय के बाद से, भारत और कैनडा के बीच राजनयिक गतिरोध और बढ़ गया है। वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने, वर्ष 1985 में एयर इंडिया कनिष्क उड़ान में, खालिस्तानियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में मारे गए 329 लोगों की याद में एक स्मारक सेवा की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा, ''भारत आतंकवाद की समस्या से निपटने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एयर इंडिया विमान 182 (कनिष्क) पर कायरतापूर्ण आतंकवादी बमबारी की 23 जून को 39 वीं वर्ष गांठ है, जिसमें 86 बच्चों सहित 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।'' एयर इंडिया विमान, जो मॉन्ट्रियल से लंदन जा रहा था, में जमीन से 31000 फीट ऊपर कैनडा में रहने वाले सिख आतंकवादियों द्वारा लगाए गए बम में विस्फोट हो गया था। मारे गए 329 यात्रियों में 268 कैनेडियन, 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय नागरिक थे।

- कैनडा सरकार के इस फैसले से दोनों देशों में फिर से तनाव बढ़ गया है।
- कैनडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 23 जून को खालिस्तानी आतंकवादियों के बम धमाके से हुए कनिष्क विमान हादसे में मारे गए 329 लोगों की स्मृति में 23 जून को कार्यक्रम करने की घोषणा की।
- ज्ञातव्य है कि, भारत सरकार हमेशा से कैनडा पर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाती रही है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि, निज्जर की गत वर्ष ब्रिटिश कोलम्बिया में, गुरूद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कैनडा के प्रधानमंत्री ने इस हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था।

कैनेडियन संसद ने हाल ही में, निज्जर की स्मृति के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा था, जिसकी गत वर्ष ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने आरोप लगाया था कि, भारतीय सरकार के एजेंट इस हत्या में लिप्त हो सकते हैं। भारतीय सरकार ने इन आरोपों को बेतुका और मनगढ़न्त बताते हुए खारिज कर दिया था।

यह घटनाक्रम, मोदी और ट्रूडो की जी-7 सम्मेलन में, बैठक के कुछ दिनों के अंदर हुआ है। ट्रूडो ने उस समय कहा था कि भारत के साथ कई बड़े मुद्दों पर सहमति है और वह भारत की नई सरकार के साथ बातचीत का अवसर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, ट्रूडो के साथ हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके साथ एक पंक्ति लिखी थी, ''जी-7 सम्मेलन में कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात।'' गत वर्ष निज्जर की हत्या में भारतीय संल्प्तिता के प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों के बाद, रिश्तों में आए तनावों के बाद, दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। भारत का हमेशा से एक ही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नई राजनीतिक परिस्थितियों में आज जी.एस.टी. काउन्सिल की बैठक अधिक प्रोडक्टिव होगी?

कुछ तो लिहाज में, कुछ दबाव में जी.एस.टी. काउन्सिल में राज्य सरकारें कुछ ''इफैक्टिव'' (प्रभावशाली) भूमिका नहीं निभा पा रही थीं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। जी.एस.टी. काउन्सिल की कल होने वाली मीटिंग देश की बदली हुई राजनीतिक स्थिति के कारण पहले हुई मीटिंग्स से थोड़ी अलग होगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के प्रथम कार्यकाल के दौरान अस्तित्व में लाए गए जी.एस.टी. के बाद से विपक्ष बैकफुट पर रहता आया है, लेकिन अब विपक्ष के पुर्नजीवित होने और केन्द्र में एक गठबंधन सरकार होने के कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की राज्य सरकारों की आवाज इस मामले में बुलंद हो सकती है।

लेकिन वास्तव में स्थिति इसमें अलग होनी चाहिए थी। क्योंकि टैक्स के जी.एस.टी. सिस्टम की अवधारणा डॉ. मनमोहन सिंह के अधीन यू.पी.ए. सरकार में बनाई गई थी और विस्तृत गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स पर पहला मसौदा भी तभी प्रस्तुत किया गया था, हालांकि यह रिपोर्ट कभी लागू नहीं की गई।

वर्ष 2004 से 2014 तक यू.पी.ए. का निर्बाध शासन रहा, लेकिन इस दीर्घ अवधि के दौरान सरकार देश को एक सिंगल मार्केट बनाने को लेकर एक एकीकृत टैक्स सिस्टम के फायदों पर तो काफी कुछ कहती रही, लेकिन उसने इस एकीकृत टैक्स सिस्टम को लागू करने की गंभीरता कभी नहीं दिखाई।

इस प्रकार के टैक्स सिस्टम की आधिकारिक शुरुआत करने के लिए समूचे बैक आफिस वर्क को तैयार किया गया, चूंकि जी.एस.टी. सिस्टम के इन्फ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा-बहुत विकसित कर लिया गया था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार इसे धूम-धड़ाके से शुरु कर सकी।

जी.एस.टी. सिस्टम के विरोध में कुछ ही राज्य सरकारें तर्कसंगत आलोचनाएं कर सकीं, लेकिन उनका समाधान कर लिया गया। जी.एस.टी. की अवधारणा सबसे पहले डॉ. विजय केलकर ने प्रस्तुत की थी और कांग्रेस पार्टी इस अवधारणा की प्रमुख समर्थक थी कि राज्य सरकारें, वास्तव में इसे अस्वीकार नहीं कर सकती थीं।

- और, इससे कुछ त्रुटियाँ आ गई थीं जी.एस.टी. व्यवस्था में।
- एक बड़ी त्रुटि तो यह थी कि, जी.एस.टी. व्यवस्था में केवल तीन ''स्लैब'' होने थे, टैक्स की दृष्टि से। पर, अब धीरे-धीरे आज टैक्स के छः स्लैब हो गये हैं। दूसरी खामी यह थी कि, टैक्स की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों, पैट्रोलियम, तम्बाकू व शराब को जी.एस.टी. काउन्सिल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- अभी दोनों सरकारें, केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार इन तीनों चीज़ों पर टैक्स लगा सकते हैं। अतः इन तीनों सामग्रियों पर टैक्स बहुत ज्यादा ही हो गया है, इसी कारण से उदाहरण के लिये राज्य शराब पर, अपना-अपना टैक्स लगाते गये।
- क्योंकि कोई भी बातचीत खुलकर नहीं होती थी, अतः मसला अभी तक पूर्णरूप से सुलझा नहीं है।
- पर, अब अगर नये वातारवण में खुलकर बातचीत होती है, तो राजनीतिक सौदेबाजी के बाद, इस जी.एस.टी. व्यवस्था में आयी फण्डामैंटल कमियां दूर करने में प्रगति होगी।

भाजपा के एक प्रमुख नेता ने मुख्यमंत्री रहते जी.एस.टी. का कड़ा विरोध किया था, लेकिन फिर भी भाजपा ने कांग्रेस की इस अवधारणा को पूर्ण रूप से अपना लिया। सिर्फ दो राज्य- केरल और पश्चिम बंगाल इसे लेकर आलोचना करते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल को, उसके वित्त मंत्री को प्रधान मध्यस्थ बनाकर अन्ततः राजी कर लिया गया।

परिणामतः जी.एस.टी. के वर्तमान सिस्टम का उद्भव कुछ इस तरह से हुआ कि जैसा इसके मूल प्रस्तावकों ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। वर्तमान जी.एस.टी. सिस्टम की मूल कमी है- इसमें बहुत सी दरों का होना। जी.एस.टी. की मूल रिपोर्ट में विभिन्न राज्य सरकारों की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की विविध दरें प्रस्तावित थीं। इससे पहले तक केन्द्र सरकार की भी कई वस्तुओं पर कई दरें और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मतदाता सूची की संशोधन प्रक्रिया 25 जून से

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और केन्द्र

- चुनाव आयोग ने बताया कि, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड तथा जम्मू कश्मीर, जहां वर्षान्त तक चुनाव होने हैं, में मतदाता सूची की संशोधन प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी की ली जाएगी।

शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य 25 जून से शुरु होगा, तथा एक जुलाई को 18 साल पूरे करने वाले युवा इसमें अपना नाम जुड़वा सकेंगे।

हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)